

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2020—वैशाख 18, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 फरवरी 2020

संशोधन

क्रमांक एफ 01-73/2001/10-भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-02-2020 के सरल क्रमांक-2 के कॉलम-4 में उल्लेखित श्री जे.ए.सी.एस. राव (1987), भारतीय वन सेवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति तिथि 31-07-2021 के स्थान पर दिनांक 30-06-2021 पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 3-28/2019/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक दृष्टि से एतद्वारा, पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लेखित हैं, को कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाना/चौकी तहसील/ जिला के नाम जिसमें स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाना है.	उप पुलिस थाना/चौकी तहसील/ जिला के नाम जिसमें स्थानीय क्षेत्र अपवर्जित किया जाना है.	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जिला—बस्तर

01.	पुलिस थाना-मालेवाही,	चौकी-ककनार, पुलिस थाना-मारडूम,	मालेवाही	01
02.	तहसील-लोहण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर.	तहसील-लोहण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर.	बोदली	01
03.			कहचेनार	01
04.			एरपुण्ड	01
05.			टेटम	01
06.			पाउल	01
07.			पुसपाल 'ब'	01
08.			सालेपाल	01
09.			हराकोडेर	01
10.			पिच्चीकोडेर	01
11.			अमलीधार	02
12.			कोड़नार	02

No. F 3-28/2019/Home-2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of public convenience and administrative reasons hereby, notifies, by making partial amendment in the previous notification, the police station mentioned in column (3) having corresponding entire mentioned in column (4) and (5) as local jurisdiction of Police Station mentioned in column (2) in the table below :—

S. No.	Name of Police Station/ Tehsil/District in which the local area has to be included	Name of Police Station/ Tehsil/District from which the local area has to be excluded	Name of the proposed villages	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
District—Bastar				
01.	Police Station-Malewahi	Out Post-Kaknaar	Malewahi	01
02.	Tehsil-Lohandiguda	Police Station-Mardum	Bodali	01
03.	District-Bastar.	Tehsil-Lohandiguda,	Kahchenar	01
04.		District-Bastar.	Arpund	01
05.			Tetam	01
06.			Paul	01
07.			Puspal 'B'	01
08.			Salepal	01
09.			Harrakodar	01
10.			Pichchikoder	01
12.			Amlidhar	02
13.			Kodenar	02

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 1-10/2014/23.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 26/2001/यो.आ.सां/23, दिनांक 10 जनवरी, 2001 एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04-10-2014 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा, “राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़” का निम्नानुसार पुनर्गठन करते हुए दायित्व निर्धारित करता है :—

1. संरचना :—

1.	अध्यक्ष	माननीय मुख्यमंत्रीजी
2.	पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष (1)	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
3.	पदेन सदस्य (4)	राज्य मंत्रिपरिषद् से मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा मनोनीत 3 सदस्य एवं माननीय योजना मंत्रीजी.
4.	पूर्णकालीन सदस्य (1)	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
5.	अशासकीय सदस्य (3)	कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम 03 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति. (राज्य शासन द्वारा मनोनीत).

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 6. | अंशकालीन सदस्य (2) | अधिकतम 2 सदस्य. राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से पदेन सदस्य के रूप में. (एक वर्ष के चक्रीय आधार पर) राज्य शासन द्वारा मनोनीत. |
| 7. | स्थाई आमंत्रित | 1. मुख्य सचिव,
2. भारसाधक सचिव, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास/कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग. |
| 8. | पूर्णकालिक सदस्य सचिव | शासन द्वारा पदस्थ सचिव स्तरीय अधिकारी. |

2. आयोग के दायित्व :—

- (1) राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना.
- (2) सतत संपोषणीय विकास (SDG) तथा “जन घोषणा पत्र” के उद्देश्यों एवं “इंटर-जनरेशनल इक्विटी” के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना.
- (3) विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए राज्य शासन को समय-समय पर सुझाव देना.
- (4) शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना.
- (5) विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिये उपयोगी निदानात्मक/विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना.
- (6) नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना.
- (7) शासन एवं शासनेतर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिये नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुये Think Tank के रूप में कार्य करना.
- (8) समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-39/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-01-2018 द्वारा गठित सोनहत निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम जोगिया, कछाड़ी, भगवतपुर, नौगाई, खड़गांव खुर्द, परिहत,

रजपुरी, पलाडीडांड, बड़वार, पत्थरगवां, मंझगवां खुर्द, तंजारा, मेण्ड्रा, सोनारी, छिंगुरा को शामिल करते हुए पुनर्गठित सोनहत निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

सोनहत निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— जोगिया, कछाड़ी, भगवतपुर, नौगाई, खड़गवां खुर्द, परिहत, रजपुरी, पलाडीडांड, बड़वार, पत्थरगवां, मंझगवां खुर्द, तंजारा, मेण्ड्रा, सोनारी, छिंगुरा.

अनुसूची-दो

सोनहत निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम जामटीकरा, रजौली, पोंडी, परीहत, रजपुरी, अमहर, भुईहारीपारा, सोनहत, मेण्ड्रा, भगवतपुर, मंझगवां खुर्द, कछाड़ी, जोगिया एवं पलाडीडांड ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में :** ग्राम पलाडीडांड, तंजारा, पत्थरगवां, बसवाही, मधौरा, नौगाई एवं बड़वार ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में :** ग्राम बड़वार, नौगाई, कटगोडी, कुशमहा, पुसला, काचरडांड, बिरौरीडांड, केवराबहरा, चकडांड एवं भट्ठीपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में :** ग्राम भट्ठीपारा, रजौली, भैंसवार एवं जामटीकरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-16/2019/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अंतर्गत थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र जिला बेमेतरा की विकास योजना तैयार करने हेतु समिति का गठन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-08-2019 द्वारा किया गया है. उक्त आदेश के उपधारा (ड) में उल्लेखित “जनपद पंचायत बेमेतरा, जिला बेमेतरा” के स्थान पर “जनपद पंचायत साजा” पढ़ा जावे.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-20/2017/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 28-05-2019 द्वारा सीपत विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

सीपत विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (एकड़ में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क (1) एवं (2) के तहत उपांतरण (6)
1.	सेलर प.ह.नं. 11/15	1297	95.028 एकड़	कृषि	औद्योगिक (एम.आर.-17, 18 मानचित्र में दर्शित 18 मीटर मार्ग छोड़कर)

- उक्त उपांतरण उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु हैं.
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
- अतः राज्य शासन एतद्वारा सीपत विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण सीपत विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर, दिनांक 23 अप्रैल 2020

क्रमांक 4140/अ-82/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	परसा प.ह.नं. 09	1.250	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा.	पोता परसा फगुरम मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कांकेर, दिनांक 13 फरवरी 2020

संशोधित

क्रमांक/16/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	शाहवाड़ा प.ह.नं. 31	1.89	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	तारसगांव - शाहवाड़ा मार्ग के कि.मी. 5/6 में महानदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.433 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387	0.010
103/1	0.085
117/3	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
205/1	0.061	223/1	0.057
128/2	0.028	232	0.049
204	0.041	277/1क	0.004
214/2	0.016	921/3	0.073
235, 237/2	0.016	280/1	0.041
278/1	0.053	375, 371/2	0.121
279/1	0.069	943/1	0.049
351/2	0.065	977/1	0.089
919/4, 921/2	0.008	1185/1	0.008
973/1	0.049	386/2	0.041
1182/1	0.101	120	0.049
1188	0.008	118/2	0.073
113	0.008	124	0.012
117/1	0.089	127	0.057
277/2	0.049	973/2	0.097
1187	0.065	214/1	0.004
190/2	0.008	233, 234/2	0.105
203/2	0.069	277/1ख	0.045
215/1	0.020	278/3	0.008
236/1ख	0.138	351/1	0.121
278/2	0.097	390/1, 390/2	0.041
12/1	0.032	943/2	0.032
388	0.024	977/5	0.024
390/3	0.105	286/4	0.057
972/2	0.065		
1182/2	0.008	योग	74 3.433
1191	0.142		
103/2	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुण्डी नाला	
118/1	0.061	व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.	
122	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़	
125, 126/1	0.020	के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
155/2	0.028		
205/2	0.008		
215/2	0.041		
236/3	0.065		
349/2	0.012		
279/2	0.073		
347, 348/2क	0.061	रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2020	
394	0.040		
975	0.057		
1183	0.008		
97/1घ	0.053		
117/2	0.016		
200, 202	0.008		
123	0.020		
125/2	0.004		
231	0.016		

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिरौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215/2	0.081
282	0.032
190/1	0.008
183, 193/2ग	0.016
206, 207, 306/1, 218/1/5	0.053
217/2	0.041
200/2	0.117
184/2क	0.045
182/2ख, 194/2ख	0.016
178	0.020
216/1	0.024
192/4ख	0.004
183, 193/2ख	0.012
183/1क, 193/1क	0.024
216/5	0.062
216/3	0.012
183, 193/2क	0.017
183/1ख, 193/1ख	0.028
योग	18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुण्डी नाला
व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़
के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डौकीजोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.465 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145/3	0.020
16	0.037
111/3	0.008
13/1क, 14/1	0.020
3, 4/1	0.041
5/1, 6/3क	0.024
145/1	0.016
110/1	0.012
121/4	0.004
13/1ख, 14/2	0.008
111/1	0.024
112/2क	0.008
145/2	0.008
118/5क	0.036
13/1ग, 14/3	0.008
130, 147, 148, 149/1	0.018
5/1, 6/3ग	0.032
146/2क	0.008
146/4क	0.008
122, 123, 127/2	0.069
5/1, 6/1घ	0.032
5/1, 6/1ख	0.024
योग	22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुण्डी नाला
व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़
के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

(1)

जांजगीर, दिनांक 3 मार्च 2020

330/2

0.073

क्रमांक/3049/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

412/1-2

0.036

323/2

0.081

योग

03

0.190

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घिवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6579.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/2933 दिनांक 07-08-2019 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राज.), कुरूद जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक/10634-35/वित्त-1/2019 धमतरी दिनांक 20-12-2019 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति कुरूद का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कुरूद को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राज.) के स्थान पर श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम), जिला बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2020

क्रमांक/श्रम/बंधुआश्रम/2020/528.—बन्धित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 की धारा 13(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बिलासपुर जिले में बंधुआ श्रमिकों की निगरानी हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति के पुनर्गठन का आदेश प्रसारित किया जाता है। धारा 13(2) (ख), (ग) एवं (ङ) के अनुसार जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में इस सतर्कता समिति के लिए निम्नानुसार सदस्य समिति के अध्यक्ष के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। क्रमांक 3 में उल्लेखित सदस्य धारा 13(2) (घ) अनुसार राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बिलासपुर के द्वारा की जाएगी।

1. धारा 13(2)(ख) अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से 3 सदस्य—
 - (i) श्री पंचराम सूर्यवंशी
 - (ii) श्री दामोदर कांत
 - (iii) श्री विभोर सिंह
2. धारा 13(2) (ग) अनुसार 2 सामाजिक सदस्य—
 - (iv) डॉ. गिरधर शर्मा, पत्रकार
 - (v) श्री अभयनारायण राय, समाजसेवी
3. धारा 13(2)(घ) अनुसार राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित 3 सदस्य —
 - (vi) पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर (पदेन)—श्री प्रशांत अग्रवाल, आई.पी.एस.
 - (vii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (पदेन)—श्री रितेश अग्रवाल, आई.ए.एस.
 - (viii) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (पदेन)—श्री सी.एल.जायसवाल
4. धारा 13(2) (ङ) के अनुसार जिले में वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—
 - (ix) जिला लीड बैंक के प्रबंधक (पदेन) - श्री अजय दुबे
5. जिला सतर्कता समिति के संयोजक—
 - (x) जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त (पदेन) - श्रीमती ज्योति शर्मा (प्रभारी स.श्र.आ.)

हस्ता./-
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th December 2019

No. 1397/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office.

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sameer Kujur, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Kawardha at Pandariya.	Pandariya	Pratappur	Surajpur	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 6th December 2019

No. 1399/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following Civil Judge Class-II, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Avinash Kumar Dubey, VI Civil Judge Class-II.	Raipur	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 6th December 2019

No. 1401/Confdl./2019/I-8-2/2010 (Part-III).—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) having jurisdiction of the areas mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Jurisdiction of the Court (5)	Posted as (6)
1.	Shri Om Prakash Sahu, Civil Judge Class-I.	Pratappur	Raipur	Revenue District Raipur, Raipur Municipal Council Area, Birgaon Municipal Council Area and Dharsiva Block of Raipur.	Labour Judge, Labour Court No.-1. He is also assigned the additional charge of Labour Court No.2, Raipur having jurisdiction over the rest of the Revenue District Raipur and Gariaband except the jurisdiction of Labour Court No.-1, Raipur.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.